इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021—श्रावण 8, शक 1943

## चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2021

एफ 5-27-2014-1-पचपन.—मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) सहपठित मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 के नियम 13 के अधीन प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संभाग/जिला स्तर प्राधिकार सिमिति का गठन करती है, अर्थात्:—

#### 1. उज्जैन संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति—

(1)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	-	अध्यक्ष		
(2)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	-	सदस्य-सचिव		
(3)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	-	सदस्य		
(4)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामांकित प्रत्यारोपण से संबंधित दो स्वशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि, नियम 13 (ग) के अनुसार.	=	सदस्य		
(5)	मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला रतलाम.	_	सदस्य		
2. शहडोल संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति—					
(1)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल		अध्यक्ष		
(2)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल	=	सदस्य-सचिव		

	(3)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल	_	सदस्य
	(4)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामांकित प्रत्यारोपण से संबंधित दो स्वशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि, नियम 13 (ग) के अनुसार.	<del></del>	सदस्य
	(5)	मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला शहडोल	-	सदस्य
3.	दतिया स	iभाग स्तरीय प्राधिकार समिति—		
	(1)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दितया	-	अध्यक्ष
	(2)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, दितया	=	सदस्य-सचिव
	(3)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, दितया	-	सदस्य
	(4)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामांकित प्रत्यारोपण से संबंधित दो स्वशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि, नियम 13 (ग) के अनुसार.	_	सदस्य
	(5)	मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला दतिया		सदस्य
4.	छिंदवाड़	ा जिला स्तरीय प्राधिकार समिति—		
	(1)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा	=	अध्यक्ष
	(2)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा	=	सदस्य-सचिव
	(3)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा	-	सदस्य
	(4)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामांकित प्रत्यारोपण से संबंधित दो स्वशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि, नियम 13 (ग) के अनुसार.	-	सदस्य
	(5)	मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा	: <del></del>	सदस्य
5.	शिवपुरी	जिला स्तरीय प्राधिकार समिति—		
	(1)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी	=	अध्यक्ष
	(2)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी		सदस्य-सचिव
	(3)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी	-	सदस्य
	(4)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामांकित प्रत्यारोपण से संबंधित दो स्वशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि, नियम 13 (ग) के अनुसार.	=	सदस्य
	(5)	मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला शिवपुरी	<del>:</del> :	सदस्य
6.	खण्डवा	जिला स्तरीय प्राधिकार समिति—		
	(1)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा	=	अध्यक्ष

(2)	विभागाध्यक्ष, मेंडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा	_	सदस्य-सचिव		
(3)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा	_	सदस्य		
(4)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामांकित प्रत्यारोपण से संबंधित दो स्वशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि, नियम 13 (ग) के अनुसार.	-	सदस्य		
(5)	मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला खण्डवा	_	सदस्य		
7. विदिशा जिला स्तरीय प्राधिकार समिति—					
(1)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा	-	अध्यक्ष		
(2)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा	-	सदस्य-सचिव		
(3)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा	_	सदस्य		
(4)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामांकित प्रत्यारोपण से संबंधित दो स्वशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि, नियम 13 (ग) के अनुसार.	_	सदस्य		
(5)	मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला विदिशा	_	सदस्य		

F. 5-27-2014-1-LV.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of Section 9 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 read with Rule 13 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, the State Government, hereby, constitutes the following Divisional level/District level Authorization Committee, namely:—

### 1. Ujjain Division Level Authorization Committee-

(1)	Dean, Government Medical College, Ratlam	1 <u>V</u>	Chairperson	
(2)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Ratlam	_	Member-Secretary	
(3)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Ratlam	_	Member	
(4)	Representatives of Two Voluntary Organizations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the Commissioner, Medical Education.	<del></del>	Member	
(5)	The Chief Medical and Health Officer Ratlam District	-	Member	
2. Shahdol Division Level Authorization Committee—				
(1)	Dean, Government Medical College, Shahdol	=	Chairperson	
(2)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Shahdol	=	Member-Secretary	
(3)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Shahdol	<u> </u>	Member	

(4)	Representatives of Two Voluntary Organisations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the Commissioner, Medical Education.	-	Member	
(5)	The Chief Medical and Health Officer Shahdol District	_	Member	
3. Datia	District Level Authorization Committee—			
(1)	Dean, Government Medical College, Datia		Chairperson	
(2)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Datia	-	Member-Secretary	
(3)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Datia	_	Member	
(4)	Representatives of Two Voluntary Organizations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the Commissioner, Medical Education.	_	Member	
(5)	The Chief Medical and Health Officer Datia District	3	Member	
4. Chhin	dwara District Level Authorization Committee—			
(1)	Dean, Government Medical College, Chhindwara	_	Chairperson	
(2)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Chhindwara	_	Member-Secretary	
(3)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Chhindwara	, =	Member	
(4)	Representatives of Two Voluntary Organizations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the Commissioner, Medical Education.	-	Member	
(5)	The Chief Medical and Health Officer Chhindwara District	-	Member	
5. Shivpuri District Level Authorization Committee—				
(1)	Dean, Government Medical College, Shivpuri	=	Chairperson	
(2)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Shivpuri	=	Member-Secretary	
(3)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Shivpuri		Member	
(4)	Representatives of Two Voluntary Organizations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the Commissioner, Medical Education.	-	Member	
(5)	The Chief Medical and Health Officer Shivpuri District	=	Member	
6. Khandwa District Level Authorization Committee—				
(1)	Dean, Government Medical College, Khandwa	_	Chairperson	
(2)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Khandwa	_	Member-Secretary	

Member Head of the Department, Surgery, Medical College, Khandwa (3)Representatives of Two Voluntary Organizations related to Member (4) Transplantation nominated under rule 13 (c) by the Commissioner, Medical Education. Member The Chief Medical and Health Officer Vidisha District (5) 7. Vidisha District Level Authorization Committee-Chairperson Dean, Government Medical College, Vidisha (1) Member-Secretary Head of the Department, Medicine, Medical College, Vidisha (2)Head of the Department, Surgery, Medical College, Vidisha Member (3)Member Representatives of Two Voluntary Organizations related to (4)Transplantation nominated under rule 13 (c) by the Commissioner, Medical Education. The Chief Medical and Health Officer Vidisha District Member (5)

एफ 5-27-2014-1-पचपन.—मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, समुचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:—

- (1) अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा.
- (2) अधिष्ठाता, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, छिंदवाड़ा.
- (3) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम.
- (4) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल.
- (5) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, दितया.
- (6) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी.
- (7) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा.

F. 5-27-2014-1-LV.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994), the State Government, hereby, appoints the following Officers as Appropriate Authorities for the purpose of the said Act, namely:—

- (1) Dean, Atal Bihari Vajpayee, Medical College, Vidisha.
- (2) Dean, Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara.
- (3) Dean, Medical College, Ratlam.
- (4) Dean, Medical College, Shahdol.
- (5) Dean, Medical College, Datia.
- (6) Dean, Medical College, Shivpuri.
- (7) Dean, Medical College, Khandwa.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. एस. वर्मा, अवर सचिव.